(10)

333

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

प्रदेश UTTAR PRADESH

B 456866

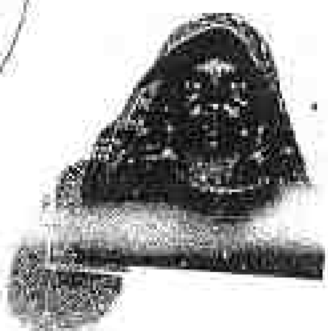

नि० प्र० कमला देवी

नि० प्र० ओमप्रकाश

विक्रय–पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	: कृषि
2.	परगना	: बिजनौर
3.	ग्राम	: निजामपुर महिगवां
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)	: भूमि खसरा संख्या–311
5.	मापन की इकाई	: हेक्टेअर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	: 0.106 हेक्टेअर
7.	सम्पत्ति का प्रकार	: कृषि
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	: नहीं
9.	बोरिंग/कुआं/अन्य	: नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	: रु0 1,25,873/–
11.	मालियत	: रु0 1,16,600/–
12.	स्टाम्प	: रु0 12,600/–

नि० प्र० कमला देवी

A. ओमप्रकाश

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

र प्रदेश UTTAR PRADESH

YB 456864

<u>चौहद्दी</u>

[illegible] 311

पूरब	: खसरा संख्या-312
पश्चिम	: खसरा संख्या-310
उत्तर	: रेलवे लाईन
दक्षिण	: सीमा ग्राम बरौना

प्रथम पक्ष की संख्या-01 द्वितीय पक्ष की संख्या-01

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व0 श्रीराम निवासिनी- ग्राम निजामपुर मझिगवाँ, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ। व्यवसाय - कृषि	:	ओम प्रकाश पुत्र सुखराम, निवासी- मिर्जापुर, मिटारी, पोस्ट-नवगांव, जिला-फतेहपुर, उ0प्र0। व्यवसाय - कृषि

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व0 श्रीराम निवासिनी– ग्राम निजामपुर मझिगवाँ, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् ओम प्रकाश पुत्र सुखराम, निवासी– मिर्जापुर, भिटारी, पोस्ट–नवगांव, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0 जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

500Rs

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या-[illegible] रकबा 0.530 है से अपना हिस्सा यानि रकबा 0.106 हेक्टेअर, स्थित ग्राम निजामपुर मंझिगवा, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, के मालिक, कामिल व काबिज हैं तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 00176 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है, उक्त भूमि विक्रेता को विरासत में मिली है विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर

500RS.

जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय [illegible] त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करते है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नही किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.

Rs. 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

विषय नही है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त
या दावा इत्यादि नही
है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएवं उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रू0 1,25,673/- (रूपया एक लाख पच्चीस हजार छः सौ तिहत्तर मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता **ओम प्रकाश पुत्र** सुखराम, निवासी- मिर्जापुर, मिटारी, पोस्ट-नवगांव, जिला- फतेहपुर, उ0प्र0 द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

14 MAR 2007

अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता नहीं स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त मे अनुसूची के अर्न्तगत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

प्रदेश UTTAR PRADESH

G 189755

14 MAR 2007

अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेगा। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या

अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थित में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगें।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई [illegible] और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेगें, विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम निजामपुर मझिगवां अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 11,00,000/– प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.106 हेक्टेअर की मालियत रू0 1,16,600/– होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 12,600/– जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ,

तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास मे कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष म लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

खसरा संख्या–311 रकबा 0.530 हेक्टेअर में से अपना हिस्सा यानि रकबा 0.106 हेक्टेअर, स्थित ग्राम निजामपुर मंझिगवा, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ.।

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

1. विक्रेता ने रू0 1,25,673/– (रुपया एक लाख पच्चीस हजार छः सौ तिहत्तर मात्र) द्वारा चेक संख्या– 414301 दिनांकित 19.03.2007 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ, क्रेता से प्राप्त किये।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रु0 1,25,673/- (रूपया एक लाख पच्चीस हजार छः सौ तिहत्तर मात्र) विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते है।

अतः आज उभय पक्षों ने इस विक्रय विलेख पर अपने-अपने हस्ताक्षर करके इसे निष्पादित किया।

नोट : पृष्ठ संख्या ... हैं।

लखनऊ

दिनांक: 19.03.2007

गवाह

1.

2.

क्रेता

टाईपकर्ता

(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(सैय्यद अन्ज़र हुसैन)
एडवोकेट

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा – 32 ए0 के अनुपालन हेतु,

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :– श्रीमती कमला देवी पत्नी [illegible] ग्राम [illegible] जिला लखनऊ।

बाये हाथ के अंगुलियो के चिन्ह :–

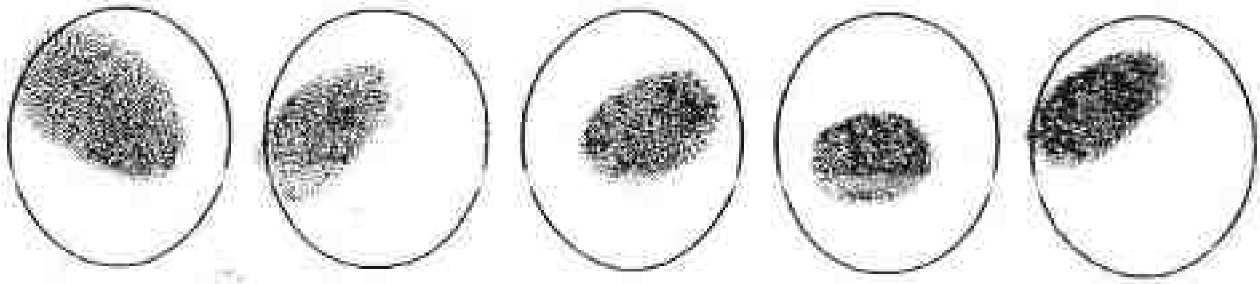

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

[illegible]

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता [illegible] हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता :– [illegible]

[illegible] जिला फतेहपुर।

बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

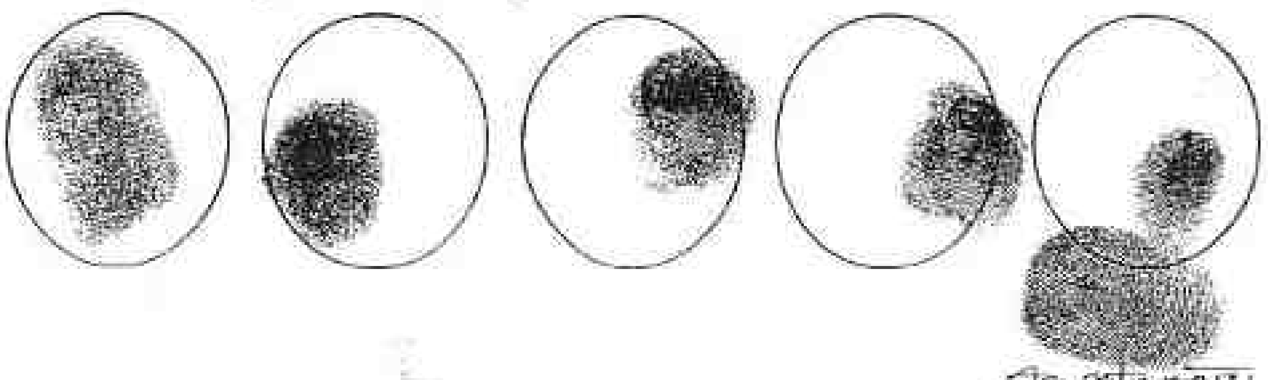

[illegible]

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

<u>नक्शा नजरी</u>

ग्राम : निजामपुर मझीगांवा

खसरा संख्या– 311

विक्रेता : श्रीमती कमला देवी. पत्नी स्व श्री राम.

क्रेता : ओम प्रकाश पुत्र सुखराम निवासी मिर्जापुर मिराई, पोस्ट मवगाँव जिला फतेहपुर।

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित समस्त सम्पत्तियों का विवरण

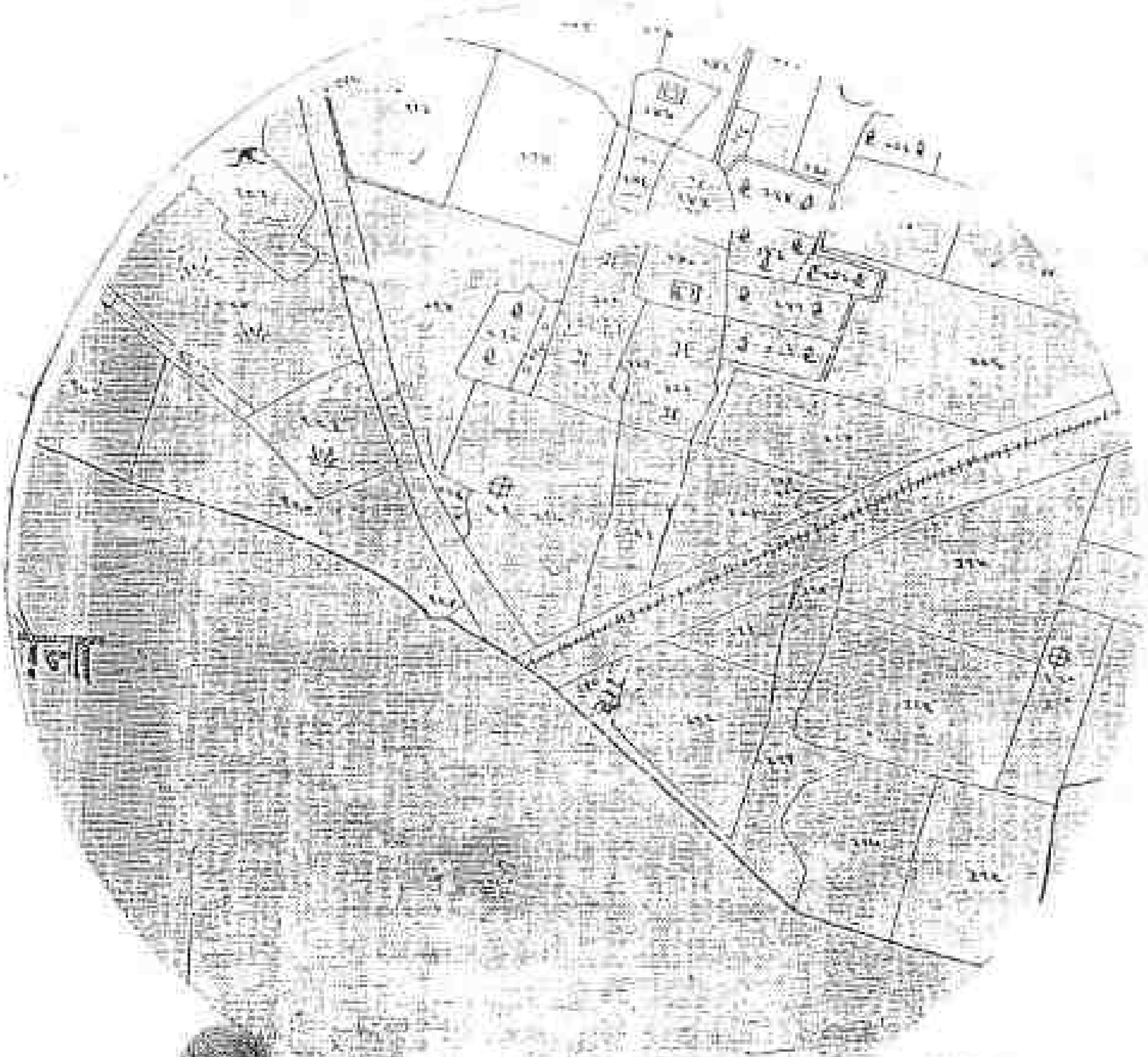

नि.अ. कमला देवी

ओम प्रकाश

आज दिनांक **20/03/2007** को

बही सं **1** जिल्द सं **8188**

पृष्ठ सं **37** से **62** पर क्रमांक **2573**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

के. के. शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

20/3/2007